

(राजेश कुमार झांगी)
सहायक कलेक्टर
बाप (जोधपुर)

Handwritten signature

पञ्जाबी राजस्व लोक अदालत न्याय आपकें द्वारा 2017 में पेश हुई। प्रार्थी स्वयं और वकील प्रार्थी उषा नहीं। पञ्जाबी का वकील प्रार्थी स्वयं और वकील प्रार्थी उषा हैं। प्रार्थी प्रार्थना पत्र पर बहस देते हैं कि वकील प्रार्थी उषा प्रार्थना पत्र प्रार्थना पत्र पर बहस नहीं करती है। अतः इनके बहस का अवसर बाद किया जाता है। पञ्जाबी का अवलोकन किया गया प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का अवलोकन किया बाद अध्ययन एवं अवलोकन प्रार्थना पत्र कि वादग्रस्त प्रार्थी खसरा नंबर 13 रकबा 924 बीघा मौजा नवा पटवार हल्का कानासर की ग्राम में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। प्रार्थी वकील प्रार्थी उषा के अग्रार्थना पत्र के संक्षेप में प्रथम दृष्टया मामला, स्थिति सन्तुलन एवम अपूर्ण्य क्षति के बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में बनना नहीं पाया जाता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहित होने से खारिज किया जाता है। पञ्जाबी फैसला प्रार्थी को कर दखिल दफतर ही। नंबर से कम ही।

11/7/17

राशि

द्वय या कार्यवाही मय इनिशियल्स जल

नंबर व तारीख
अहकाम जो इस
द्वय की तारीख
में जारी हुए